राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण
{National Sample Survey}
एक संक्षिप्त परिचय

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1950 से साँख्यिकीय प्रतिचयन पद्धतियों (Statistical Sampling Techniques) का उपयोग करके देश व प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर समाजार्थिक (Socio-Economic) क्षेत्र के आंकड़ों का एकत्रीकरण करने के लिए एक देशव्यापी प्रतिदर्श सर्वेक्षण (Sample Survey) आरम्भ किया गया था। उक्त आंकड़ों की आवश्यकता विशेषकर नियोजन के लिए महत्तवपूर्ण है। राष्ट्रीय साँख्यिकीय कार्यालय (National Statistical Office) , भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में यह सर्वेक्षण विषय-वस्तु को विभिन्न आवृत्तियों में चिन्हित कर सम्पन्न किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सरकार का अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान भी भारत सरकार के राष्ट्रीय साँख्यिकीय कार्यालय से समन्वय रखते हुए समतुल्य प्रतिदर्श आधार पर नवीं आवृत्ति (वर्ष 1955) से राज्य प्रतिदर्श (State Sample) के रूप में आंकड़े एकत्र कर रहा है। इस क्रम में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण-79वीं आवृत्ति का सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न कराया गया, जिसकी सर्वेक्षण अवधि दिनांक 01.07.2022 से दिनांक 30.06.2023 तक थी।

राज्य हेतु आवंटित इकाईयों के सर्वेक्षण के “प्रक्रियात्मक" पहलू निम्नवत् होते हैं -

- राज्य प्रतिदर्श इकाई (State Sample) की विस्तृत सूची सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग (Survey Design & Research Division), राष्ट्रीय साँख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती है जिसके आधार पर सम्पूर्ण प्रदेश में सर्वेक्षण कार्य को मूर्त रूप दिया जाता है।

- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के तकनीकी पहलुओं एवं सर्वेक्षण कार्य के सम्बन्ध में राष्ट्रीय साँख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा चिन्हित विषय पर आयोजित All India Workshop में राज्यों के सम्बन्धित विभागाध्यक्षों/ अपर विभागाध्यक्षों/अन्य नामित अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है।

- All India Workshop में प्रशिक्षण के उपरान्त प्रदेश की भौगोलिक सीमा में सर्वेक्षण को सम्पन्न कराने के लिए विषयवस्तु व अन्य तकनीकी पहलुओं के सम्बन्ध में मुख्यालय के अधिकारियों, मण्डलीय उपनिदेशकों तथा जनपदीय अर्थ एवं संख्याधिकारियों को मुख्यालय पर आयोजित **"राज्य स्तरीय प्रशिक्षण गोष्ठी"** में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तत्पश्चात् इसकी अनवरत्ता में मण्डल मुख्यालय पर मण्डलीय उप निदेशक (अर्थ एवं संख्या) की अध्यक्षता में "वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों" द्वारा "अपर साँख्यिकीय अधिकारियों" एवं "सहायक साँख्यिकीय अधिकारियों" को सर्वेक्षण की विषयवस्तु परिभाषाओं, संकल्पना, तकनीकी पहलुओं एवं सर्वेक्षण कार्य सम्बन्धी दिशा-निर्देशों से भिज्ञ कराने हेतु **“मण्डलीय स्तरीय प्रशिक्षण गोष्ठी”** द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है।

- Sample Unit स्तर पर House to House सर्वेक्षण कार्य जनपदीय कार्यालयों में तैनात **“सहायक साँख्यिकीय अधिकारियों”** द्वारा सम्पन्न किया जाता है।

- प्रत्येक जनपद में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण हेतु एक **"अपर साँख्यिकीय अधिकारी(रा0प्र0स0)"** नामित किया जाता है जिन पर सम्पूर्ण आवृत्ति में सर्वेक्षण से संकलित आंकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु पर्यवेक्षणीय कार्य का पूर्ण उत्तरादायित्व निर्धारित है। अपर साँख्यिकीय अधिकारी (रा0प्र0स0) द्वारा क्षेत्र में प्रत्येक सर्वेक्षित इकाई का शत-प्रतिशत निरीक्षण किया जाना अनिवार्य है। साथ ही साथ इनके द्वारा सर्वेक्षण उपरान्त संग्रहित आंकडों की शुद्धता जाँचने के लिए भरी हुई अनुसूचियों का परिनिरीक्षण (Scrutiny) भी किया जाता है।

- प्रतिदर्श इकाईयों के सर्वेक्षण द्वारा संग्रहीत आंकड़ों की गुणवत्ता व शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए मण्डल के उप निदेशक (अर्थ एवं संख्या)/ मण्डलीय अर्थ एवं संख्याधिकारी व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप निरीक्षण किया जाता है।

- सर्वेक्षण के आंकड़ों की परमशुद्धता हेतु प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निरीक्षण व अनुसूचियों पर संग्रहित **"आंकड़ों के डाटा-इन्ट्री व वैलीडेशन"** की मासिक प्रगति के आधार पर जनपदों की रैंकिग भी की जाती है।

- सर्वेक्षण की समाप्ति के पश्चात Data Entry , Validation की प्रकिया पूर्ण की जाती है एवं तत्पश्चात् भारत सरकार से प्राप्त Tabulation Software की सहायता से Report Publication को अन्तिम रूप देते हुए यह प्रकाशन समस्त राज्यों सहित अन्य सम्बन्धित को उपलब्ध कराया जाता है ताकि आंकड़ों का ठोस व सार्थक उपयोग सम्भव हो सके। आवश्यकतानुसार इन आंकड़ों को सरकारी विभागों, शोधकर्ताओं एवं आम जन-मानस के प्रयोगार्थ Public Domain में भी अपलोड किया जाता है।

  नोट- रा0प्र0स0-80वीं आवृत्ति के अन्तर्गत आवंटित राज्य प्रतिदर्श इकाइयों का सर्वेक्षण राष्ट्रीय साँख्यिकीय कार्यालय (NSO), भारत सरकार द्वारा जारी मार्ग-दर्शी निर्देशों के अनुरूप प्रारम्भ किया जायेगा।